न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

(मु)दमा नम्बर 177 / 2010

दायर दिनांक–30–06–2010

1. मूलचन्द पुत्र कालूराम जाति सुनार निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. सीताराम पुत्र कालूराम कालूराम जाति सुनार निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

वादीगण

बनाम

1. निवास पुत्र कालूराम
2. रामप्रसाद पुत्र सत्यनारायण
3. गोरधन पुत्र सत्यनारायण (फौत)

3/1. मुकेश पुत्र गोरधन

3/2. पार्वती स्त्री गोरधन

4. सोनू दतक पुत्र बजरंगल पौत्र सत्यनारायण
5. श्रीराम पुत्र सत्यनारायण
6. शंकर पुत्र महाबीर पौत्र सत्यनारायण
7. सुरेन्द्र पुत्र महाबीर पौत्र सत्यनारायण
8. पिन्टू पुत्र महाबीर पौत्र सत्यनारायण
9. मदनी पत्नी महाबीर
10. बाबूलाल पुत्र जगदीश
11. सुरेश पुत्र जगदीश
12. तारामणी पत्नी जगदीश
13. विक्की पुत्र विनोद पौत्र जगदीश
14. निक्की पुत्री विनोद पौत्री जगदीश
15. सोनू पत्नी विनोद
16. ओमप्रकाश पुत्र बससेर
17. गजानन्द पुत्र बसेसर
18. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बसेसर
19. रामोतार पुत्र बसेसर
20. महेश पुत्र बसेसर
21. गीता देवी पत्नी जयदेव
22. नरेश पुत्र पप्पू
23. रहीश पुत्र पप्पू
24. मामराज पुत्र जयदेव
25. बबली पुत्र किशन
26. ताराचन्द दतक पुत्र मक्खन
    समस्त जाति सुनान निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
27. हरिराम पुत्र रामकरण जाति जागिड़ निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
28. राजस्थान –सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(3)

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत

वकील प्रति. :– श्रीमती संजू योगी

दावा : घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 22–02–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम कोलसिया की सरहद में भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरानम्बर 769 तादादी 9 बीघा 17 बीश्वा पुख्ता अवस्थित है, जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 27 खातेदारी काश्तकार था काबिज है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 754 रकबा 2.50 हैक्टर तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 503 तादादी 7 बीघा 11 बीश्वा पुख्ता जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1136 रकबा 1.78 हैक्टर है।

वाद–पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित वंशावली अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 स्वर्गीय कालूराम के वारिसान है। स्वर्गीय कालूराम के सात पुत्र हुए। खाता संख्या 411 की भूमि खसरा नम्बर 1136 में स्वगीग्य कालू के वारिस रतनलाल (अविवाहित) ही फौत हो चुका है, जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा जिसको रिकार्ड से हटाया जाकर उसका हिस्सा स्वर्गीय कालू के सभी 06 वारिसों को बराबर–बराबर हिस्सों में बांट दिया जावे। कालू वर्ष 1956 में फौत होन पर भूमि खसरा नम्बर पुराना 503 तादादी 7 बीघा 1 बीश्वा पुख्ता का नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 12.7.1956 को उपरोक्त आराजीयात का नामान्तकरण दर्ज होने पर वर्तमान खाता संख्या 411 खसरा नम्बर 1136 में स्वर्गीय कालू के सभी वारिसान का राजस्व रिकार्ड में नाम चला आ रहा है परन्तु भूमि खसरा नम्बर 769 तादादी 9 बीघा 17 बिश्वा में नामान्तकरण संख्या 178 में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 के पूर्वज कालू के फौत होन पर नामान्तकरण संख्या 178 में स्वर्गीय कालू के सभी वारिसान का नाम दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज सत्यनारायण, बसेसर, जगदीश तथा निवास का ही नाम दर्ज कर दिया गया जबकि कानूनन स्वर्गीय कालूराम के वादीगण भी पुत्र है तथा उनकानाम भी उक्त नामान्तकरण में दर्ज राजसव रिकार्ड में अंकन करना चाहिए था उक्त भूमि के वर्तमान में खाता संख्या 410 खसरा नम्बर 754 रकबा 2.50 हैक्टर में नाम दर्ज नही होने के कारण से उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक सम्पति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें वादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/12 वादी नम्बर 02 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12, प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 9 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 15 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6/20 का 1/12 हिस्सा शेष प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 26 का हिस्सा यथावत रखा जावें चूंकि 1/2 हिस्से से वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 का कोई संबंध नही है ना ही इनके विरूद्ध कोई सहायता चाही है, परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड बनने के कारण से वादीगण को सख्त हकतलफी पैदा होती है साथ ही साथ भूमि खसरा नम्बर 1136 में रतनलाल पुत्र कालूराम के नाम से बने गलत राजस्व रिकार्ड के रहने से तथा भूमि खसरा नम्बर 754 में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण से अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है। हालांकि उक्त गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नही डालता है ना ही पड़ता परन्तु उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के बने रहने से सख्त हकतलफी पैदा हो रही है इसलिए वादीगण को अपने हक–अधिकारों की रक्षार्थ हेतु वाद घोषणार्थ [illegible] आवश्यक हुआ।

राजस्व रिकार्ड गलत बनने व राजस्व रिकार्ड की [illegible] पटवारी हल्का सेनकल प्राप्त करने पर वादीगण अपने हक व अधिकारों की घोषणा [illegible] रखते है चूंकि उक्त राजस्व रिकार्ड जानकारी दिनांक 15.10.2019 को पटवारी हल्का [illegible] रिकार्ड की नकल लेने व खाता संख्या 410 भूमि खसरा नम्बर 754 में नाम दर्ज नही होने के कारण से वादीगण अपने हक–अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 18.10.2019 को राजस्व रिकार्ड की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त करने व उसमें वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण के रोज अदालत हाजा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

प्रतिवादी नम्बर 28 को पक्षकार इसलिये बनाया गया है कि भूमि धारक राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि नम्बर 28 होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, आवश्यक पक्षकार का दोष नही रह जावे।

वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कोलसिया में अवस्थित होने के कारण फरीकेन अदालत हाजा क्षैत्र के स्थाई निवासी होने के कारण से अदालत हाजा को वाद सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। वाद घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती का 2/– रूप्ये कोर्ट फीस पर पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश कर इस्तदुआ चाही है कि है कि वाद वादीगण डिक्री इस प्रकार से फरमाया जावे कि :–

(क) वादी वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे कि वाके ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खाता संख्या 411 के भूमि खसरा नम्बर 1136 में रतनलाल का नाम हटाया जाकर उसका हिस्सा बराबर–बराबर कालूराम क सभी वारिसों में बांटा जाकर तथा खाता संख्या 410 खसरा नम्बर 754 रकबा 2.50 हैक्टर में नाम वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर वादी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, वादी नम्बर 02 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगातय 9 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 15 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 20 का 1/12 हिस्सा दर्ज किया जाकर शेष प्रतिवादीगण 21 लगायत 27 का हिस्सा यथावत् रखा जावे चूंकि 1/2 हिस्से में वादीगण ने इनके विरूद्ध कोई सहायता नही चाहिए। वादीगण व प्रतिवदीगण संख्या 1 लगायत 20 को कोई संबंध नही है। प्रतिवादी संख्या 28 को इस आशय का निर्देश प्रदान किया जावे कि राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किया जावे। मौके की कुरेजा बनाकर विधिवत विभाजन कर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम किया जावे, राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जावे।

(ख) अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादीगण के हक में पड़ती हो अलग से दिलवाई जावे।

(घ) यह है कि वादीगण को खर्चा व हर्जा मुकदमा दिलवाया जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 3/1, 3/2 की ओर से वकील श्रीमती संजू योगी उपस्थित न्यायालय हो अपना वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 4, 6, 7, 8, 11, 25 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा में नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रतिवादीगण संख्या 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 3/1, 3/2 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा वादीगण के वाद–पत्र में इकबालिया जवाब दावा पेश कर सहमति प्रदान की गई है। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से जवाब अपेक्षित नही रहने एवं एकबालिया जवाब दावा पेश होने पर हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम की करने की आवश्यकता नही रहती है।

शहादत वादी में दिनांक 28.09.2021 को वादीगण मूलचन्द व सीताराम उपस्थित न्यायालय हाजा हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल नामान्तकरण संख्या 11 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या 410 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी समवत् 2075–2078 खाता संख्या 411 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016–2019 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् आधार वर्ष 2043 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 खाता संख्या 330 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 खाता संख्या 331 प्रदर्श–9 प्रदर्शित कराये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 स्वर्गीय कालूराम के वारिसान है। खाता संख्या 411 की भूमि खसरा नम्बर 1136 में स्वर्गीय कालू के वारिस रतनलाल (अविवाहित) ही फौत हो चुका है, जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा जिसको रिकार्ड से हटाया जावे तथा उसका हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

स्वर्गीय कालू के सभी 06 वारिसों को बराबर–बराबर हिस्सों में बांट दिया जावे। कालू वर्ष 1956 में फौत होन पर भूमि खसरा नम्बर पुराना 503 तादादी 7 बीघा 1 बीश्वा पुख्ता का नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 12.7.1956 को उपरोक्त आराजीयात का नामान्तकरण दर्ज होने पर वर्तमान खाता संख्या 411 खसरा नम्बर 1136 में स्वर्गीय कालू के सभी वारिसान का राजस्व रिकार्ड में नाम चला आ रहा है परन्तु भूमि खसरा नम्बर 769 तादादी 9 बीघा 17 बिश्वा में नामान्तकरण संख्या 178 में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 के पूर्वज कालू के फौत होन पर नामान्तकरण संख्या 178 में स्वर्गीय कालू के सभी वारिसान का नाम दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज सत्यनारायण, बसेसर, जगदीश तथा निवास का ही नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि कानूनन स्वर्गीय कालूराम के वादीगण भी पुत्र है। वादीगण का नाम भी राजस्व रिकार्ड में आना था। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक सम्पति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें वादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/12 वादी नम्बर 02 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12, प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 9 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 15 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6/20 का 1/12 हिस्सा शेष प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 26 का हिस्सा यथावत रखा जावें चूंकि 1/2 हिस्से से वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 का कोई संबंध नही है ना ही इनके विरूद्ध कोई सहायता चाही है, परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड बनने के कारण से वादीगण को सख्त हकतलफी पैदा होती है साथ ही साथ भूमि खसरा नम्बर 1136 में रतनलाल पुत्र कालूराम के नाम से बने गलत राजस्व रिकार्ड के रहने से तथा भूमि खसरा नम्बर 754 में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण से अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है। हालांकि उक्त गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नही डालता है ना ही पड़ता परन्तु उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के बने रहने से सख्त हक तलफी पैदा हो रही है।

बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तोवजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद–पत्र की धारा 2 में वर्णित वंशावली अनुसार वाद–पत्र में दर्ज वादीगण एवं प्रतिवादी गण कालू के वारिसान हैं जो संयुक्त परिवार के है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर पुराने 769 रकबा 9 बीघा 17 बीश्वा पुख्ता जिसके नये खसरा नम्बर 754 रकबा 2.50 हैक्टर तथा खसरा नम्बर पुराना 503 रकबा 7 बीघा 11 बीश्वा पुख्ता जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1136 रकबा 1.78 हैक्टर बनना नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–2 से प्रमाणित होता है। स्वर्गीय कालूराम के सात पुत्र हुए। खाता संख्या 411 की भूमि खसरा नम्बर 1136 में स्वर्गीय कालू के वारिस रतनलाल (अविवाहित) ही फौत हो चुका है, जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा जो प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 से प्रमाणित होता है। कालू वर्ष 1956 में फौत हो चुका है। भूमि खसरा नम्बर पुराना 503 तादादी 7 बीघा 1 बीश्वा पुख्ता का नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 12.7. 1956 को विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज होने पर वर्तमान खाता संख्या 411 खसरा नम्बर 1136 में स्वर्गीय कालू के सभी वारिसान का राजस्व रिकार्ड में नाम चला आ रहा है जो नकल नामान्तकरण संख्या 11 प्रदर्श–1 से प्रमाणित होता है। प्रदर्श–5, 6,7, 8, 9 से प्रमाणित होता हैं कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वंचित हो गया। भूमि खसरा नम्बर 769 तादादी 9 बीघा 17 बिश्वा में नामान्तकरण संख्या 178 में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 के पूर्वज कालू के फौत होन पर नामान्तकरण संख्या 178 में स्वर्गीय कालू के सभी वारिसान का नाम दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज सत्यनारायण, बसेसर, जगदीश तथा निवास का ही नाम दर्ज कर दिया गया जबकि कानूनन स्वर्गीय कालूराम के वादीगण भी पुत्र है तथा उनका नाम भी उक्त नामान्तकरण में दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकन करना चाहिए था। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक सम्पति है। कालूराम के पुत्र रतनलाल का अविवाहित ही फौत हो गया जिसका नाम भी राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उनके हिस्से के भूमि कालूराम के शेष वारिसान में विभाजित किया जाना उचित होता है। विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत बनना सिद्ध होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित होता है कि वादीगण 1 व 2 विवादित भूमि में वादी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, वादी नम्बर 02 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(8)

1/12 हिस्सा बनना प्रमाणित होता है। वादीगण का वाद न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है। अतः विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खाता संख्या 411 के भूमि खसरा नम्बर 1136 में खातेदार रतनलाल का नाम हजफ किया जाकर उनका हिस्सा बराबर–बराबर कालूराम के सभी वारिसों में बांटा जाकर तथा खाता संख्या 410 खसरा नम्बर 754 रकबा 2.50 हैक्टर में वादी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, वादी नम्बर 02 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगातय 9 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 15 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 20 का 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादीगण 21 लगायत 27 का हिस्सा यथावत् रखा जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रैट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

(9)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

वाद डिक्री
दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 210/2019 **(मूलचन्द आदि बनाम निवास आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.02.2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त भूमि वाके ाके ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खाता संख्या 411 के भूमि खसरा नम्बर 1136 में खातेदार रतनलाल का नाम हजफ किया जाकर उनका हिस्सा बराबर–बराबर कालूराम के सभी वारिसों में बांटा जाकर तथा खाता संख्या 410 खसरा नम्बर 754 रकबा 2.50 हैक्टर में वादी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, वादी नम्बर 02 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगातय 9 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 15 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 20 का 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादीगण 21 लगायत 27 का हिस्सा यथावत् रखा जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारीहो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.02.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested